Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में डिस्कॉम द्वारा अधिकृत कम्पनी का एक्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं पूर्व कार्मिक (प्राईवेट व्यक्ति) 2 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 अगस्त, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी भीलवाड़ा प्रथम इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये अभिषेक शर्मा एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिक्योर कम्पनी, भीलवाड़ा (अजमेर डिस्कॉम द्वारा अधिकृत कम्पनी) एवं अब्दुल मजीद अंसारी पूर्व कार्मिक (प्राइवेट व्यक्ति) सिक्योर कम्पनी, भीलवाड़ा को परिवादी से **2 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके निर्माणाधीन मकान में विद्युत कनेक्शन जल्दी लगवाने एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने की एवज में अभिषेक शर्मा एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिक्योर कम्पनी, भीलवाड़ा (अजमेर डिस्कॉम द्वारा अधिकृत कम्पनी) द्वारा अब्दुल मजीद अंसारी पूर्व कार्मिक (प्राइवेट व्यक्ति) सिक्योर कम्पनी, भीलवाड़ा के माध्यम से **3 हजार रुपये** की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी भीलवाड़ा प्रथम के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये अभिषेक शर्मा पुत्र श्री दुर्गेश भट्ट निवासी मकान नं0 15, कावां खेड़ा, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा हाल एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, सिक्योर कम्पनी, भीलवाड़ा (अजमेर डिस्कॉम द्वारा अधिकृत कम्पनी) एवं अब्दुल मजीद अंसारी पुत्र श्री अब्दुल वहीद अंसारी निवासी गुलअरी नगरी, गली नं0 6, भीलवाड़ा पूर्व कार्मिक (प्राइवेट व्यक्ति) सिक्योर कम्पनी, भीलवाड़ा को परिवादी से **2 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।